<u>**2017 का विधेयक सं.25**</u>

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 33 का निरसन.- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 33) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 33) के द्वारा किया गया था।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के अंतिम छह मास में लिये गये विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडल उप समिति बनायी गयी थी। मंत्रिमंडल उप समिति ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को बन्द करने का विनिश्चय किया है क्योंकि विश्वविद्यालय को चालू रखने का कोई न्यायोचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 04.05.2015 को विभाग के पुनर्विलोकन के दौरान इस विश्वविद्यालय को पत्रकारिता विभाग में संपरिवर्तित करने के अनुदेश दिये गये हैं।

मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.01.2016 को अपनी बैठक में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को बन्द करने और इसका जनसंचार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विलय करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

किरण माहेश्वरी,

प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 25 of 2017

THE HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, JAIPUR (REPEAL) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur (Repeal) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act No. 33 of 2012.- The Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012 (Act No. 33 of 2012) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur was established and incorporated by the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012 (Act No. 33 of 2012).

With a view to review the decisions of the previous Government in the last six months of their tenure, a Cabinet sub-committee was formed. Cabinet sub-committee has taken the decision to close down the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur as there is no justification for continuing the University. During the review of the department by Hon’ble Chief Minister on 04-05-2015, instructions has given to convert this University in Department of Journalism.

The cabinet has decided in its meeting dated 10.01.2016 to close the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur and merge it with Centre for Mass Communication, University of Rajasthan, Jaipur. Accordingly, the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012 is proposed to be repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

किरण माहेश्वरी,
Minister Incharge.

2017 का विधेयक सं.25

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(किरण माहेश्वरी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 25of 2017

THE HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, JAIPUR (REPEAL) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Kiran Maheshwari, **Minister-Incharge**)